

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे EWS 2BHK/1BHK(प्रकोष्ठ) आवंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा/करूंगी।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किस्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा प्रकोष्ठ भवन नहीं है अथवा आवंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा/करूंगी।
7. मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय शब्दों मेंरूपये है।
8. मैं जिला में विगत वर्षों से निवास कर रहा हूँ/रही हूँ।
9. मुझे संपत्ति विक्रय के नियम एवं शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 23 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
10. मुझे EWS फ्लैट्स/रो हाउस एवं LIG-2BHK/3BHK फ्लैट्स विक्रय के अन्य नियम एवं शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 13 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

.....

फोन नं. मो.नं.

50/— के स्टाम्प पर नोटरी से
(सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप)